

मध्य प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय

छत्तीस- रे सचिवालय

माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मण्डी बोर्ड द्वारा अब मण्डी प्रांगण में भवन/अन्य निर्माण कार्य तथा मण्डी प्रांगण से सीधे जुड़े पहुँच मार्ग के अलावा अन्य कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा - चाहे वह भवन हो या सड़क। ये कार्य लोक निर्माण विभाग या म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास निगम द्वारा ही किया जायेगा।

इस तरह के निर्देश पूर्व में भी दिये गये हैं, अतः कृपया स्पष्ट करें कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन पूर्णरूपेण हो चुका है? कृपया इसकी पुष्टि करें। यदि मण्डी प्रांगण को छोड़ अन्य निर्माण कार्य मण्डी बोर्ड द्वारा वर्तमान में किये जा रहे हैं तो कृपया उसकी सूची प्रस्तुत करें, और यह भी बतायें कि कि यह कार्य कब प्रारम्भ हुआ और कब तक पूर्ण किया जायेगा?

(अन्टोनी डिसा)

मुख्य सचिव

15.09.2016

प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड

प्रतिलिपि :-


1. कृषि उत्पादन आयुक्त
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

CE

S
E (F)

16.09.16

16/9/16


SUPERINTENDING ENGINEER
M.P. STATE HIGH. W.K.B. BOARD
BHOPAL (M.P.)

CE-825
16.9.16

M/WEN/759
16/9/2016

(M)